

फर्द अहकाम

कॉपी

लत

मुकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
कोम्प्लोका अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र
सूआलाल

गंगापुर सिटी

सरूपा वगै०

मुकदमा नं०

सन्

अपील

02 / 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	<p>15.05.2018 लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र, सेवा में अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील में अंकित किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 1623 दिनांक-05.08.2016 ग्राम पंचायत सेवा हक त्याग का खोला गया है। सरूपा पुत्र ठण्डी द्वारा हकत्याग सुवालाल पुत्र ठण्डी के पक्ष में किया गया है जबकि नामान्तरकरण में सरूपा का नाम यथावत रखते हुए सूवालाल का ही नाम हजफ कर दिया गया है। अतः इसे दुरुस्त किया जावे।</p> <p>अपील का अवलोकन किया। लोक अदालत में उपस्थित लोगों से पूछताछ की गई। पत्रावली में संलग्न हकत्याग पत्र दिनांक-06.07.2016 दस्तावेज क्रमांक-479 पृष्ठ संख्या 85-87 के अनुसार सरूपा पुत्र ठण्डी जाति मीना निवासी सेवा द्वारा अपने भाई सुवालाल पुत्र ठण्डी जाति मीना निवासी सेवा के पक्ष में खसरा नंबर 345, 346, 353, 354 कुल किता 4 कुल रकबा 1.56 हेक्टर स्थित ग्राम सेवा अ तथा खसरा नंबर 3269 रकबा 1.32 हेक्टर ग्राम सेवा ब में से 1/3 हिस्से का हकत्याग किया गया है जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1623 में हकत्यागकर्ता सरूपा का नाम यथावत रख दिया गया एवं जिसके पक्ष में हकत्याग किया</p>	<p>213</p> <p>सुवालाल ठण्डी</p> <p>सरूपा</p> <p>212/18</p> <p>02</p> <p>श्रीमती सरूपा</p> <p>ग्राम पंचायत सेवा कॉसंगंगापुर सिटी (अ.मा.)</p>

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इन्वोशियल जज

अहक
हुकम क
में जारी

— २ —

गया है उसका नाम विलोपित कर दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हकत्याग के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण है। जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारान सरूपा वगै० ने भी अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1623 दिनांक 05.08.2016 खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट तहसीलदार, वजीरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को पुनः सुनकर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी